135

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

A-4133-I-16

अपील कमाक /2016 जवलपुर

श्रीमती भागवती मरावी पुत्री स्व. श्री सोन सिंह मरावी निवासी 2315 लालमाटी ,गोपाल होटल के पास तहसील व जिला जवलपुर म.प्र.

,.........अपीलार्थी

विरूद्ध

1.मध्य प्रदेश शासन द्धारा कलेक्टर जिला जवलपुर

2.विनीत प्रजापति पिता श्री दौलत प्रजापति , निवासी 2313 सिद्ध बाबा रोड , गोपाल होटल सेठ गोविंद दास बार्ड , लालमाटी , तहसील व जिला जवलपुर म.प्र.

.....उत्तरवादीगण

श्री ______ द्वारा आज दि 5-12-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 5/12/16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

690
5/12/16

अपील अंतर्गत धारा 44 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 पारित अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर जवलपुर के प्रकरण क 09/अ–21/2016–2017 मे पारित आदेश दिनांक 21.11.2016 के विरूद्ध।

माननीय महोदय ,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एंव विधि के उपवन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्धारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम कसही प.हं.नं. 51 (तिंदनी) रा.नि.मं.महराजपुर तहसील पनागर जिला जवलपुर स्थिति भूमि खसरा नं. 12, 13 ,14, 15 ,23 ,24 ,25 रकवा कमशः 0.080, 0.300, 0.140, 0.550, 0.210, 0.110, 0.130, हे0.

राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश,ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 4133 /1/2016 जिला–जवलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि. एंव आवेदक के हस्ताक्षर
12.12.2016	यह अपील कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क्रमाक 09/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 21–11–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू– राज्य संहिता 1959 की धारा 44 कें अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने कलेक्टर जवलपुर को प्रार्थना पत्र देकर अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम कसही प.ह.नं. 51(तिंदनी) रा.नि.मं.महाराजपुर तहसील पनागर जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 12,13,14,15,23,24,25, रकवा कमश0.080, 0.300, 0.140, 0.550, 0.210, 0.110, 0.130 हेक्टेयर कुल रकवा 1.520 हेक्टेयर भूमि उबड –खाबड होने एंव अन –उपजाउ होने के कारण भूमि को विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस आवेदन पत्र से कलेक्टर जवलपुर प्रकरण क 09/अ–21/2016–17 पंजीबद्ध किया जाकर अवैध व मनमाने पूर्ण तरीके से आदेश दिनांक 21.11.2016 से प्रकरण को अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया इसी आदेश से परिवेदित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। 3– अपील मेमो में दर्शाए बिन्दुओं पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । 4– अपीलांट के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अपीलांट ने उसके निजी	

स्वामित्व की भूमि सर्वे कमाक 12,13,14,15,23,24,25, रकवा कमश0. 080, 0.300, 0.140, 0.550, 0.210, 0.110, 0.130 हेक्टेयर कुल रकवा 1.520 हेक्टेयर के विकय की अनुमति इस आधार पर मांगी है कि भूमि कम उपजाउ है फसल पैदा नही हो पाती है कृषि हेतु अनुपयुक्त है पडती जमीन को बेचकर अपना घर बनाने हेतु एंव अन्य आवश्यक कार्यो हेतु पैसो की आवश्यकता है । भूमि विकय का प्रयोजन भी सद्भावना पर आधारित है जिसके कारण विकय अनुमति दिये जाने में बैधानिक अडचन नजर नही आती है। वैसे भी अपीलांट द्वारा विकय की जा रही भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है अपीलांट द्वारा संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण भूमि विकय की अनुमति मांगी गई है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिका के हिता को ध्यान मे रखे वगेर ही मनमाने पूर्ण तरीके से प्रकरण को निरस्त करने मे वैधानिक भूल की है जो न्याय संगत नही है। प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार भूमि विकय की अनुमति दिये जाने मे किसी प्रकार की बैधानिक अडचन नही है।

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्ध म0प्र0राज्य तथा एक अन्य 2013 रा0नि0-08-माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टात है कि -

(1)भू-राजस्व संहिता ,1959 (म0प्र0)--धारा 165(7-ख)तथा 158 (3) का लागू होना -उपबंधो के अंतःस्थापन से पूर्व पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये -बिना अनुमति के भूमि का अंतरण-उपंबधो को भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया--उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया -उपबंध आकर्षित नही होते-भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

(2)विधि का निर्वचन-का सिद्धात -नवीन उपवंध का अंतःस्थापन -भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया -ऐसे उपबंधकी भूतलक्षी प्रभावी होने

की उपधारणा नही की जा सकती।

(2)दयाली तथा एक अन्य विरूद्ध महिला श्यामबाई 2004रा0नि0183में व्यवस्था की गई है कि भू–राजस्व संहिता 1959(म0प्र0)–धारा 165(7–ख) सरकारी पटटेदार द्वारा आबंटन के 10 वर्ष पश्चात भूमिस्वामी अधिकार अंर्जित किये –भूमि का विकय कर सकता है–कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नही है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 09/अ–21/2016–17 अपील मे पारित आदेश दिनांक 21.11.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट को ग्रम कसही प.ह.नं. 51(तिंदनी) रा.नि.मं. महाराजपुर तहसील पनागर जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 12,13,14,15,23,24,25, रकवा कमश0.080, 0.300, 0.140, 0.550, 0.210, 0.110, 0.130 हेक्टेयर कुल रकवा 1.520 हेक्टेयर के विकय की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:–

1–भूमि का कय–विकय के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के चार माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2–भूमि का कय –विकय पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन के मान से किया जावेगा ।

3–केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।

सदस्य